6178

दि० 25-07-19

बिहार सरकार

वित्त विभाग

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के विभिन्न कार्य जैसे CFMS Paper Less किया जा रहा है । प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कार्यालय आदेश से संबंधित बहुत से कागजातों का अनावश्यक रूप से फोटो प्रति की जाती है और सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियो को भेजी जाती है ।

भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय कि विभागीय कार्य से संबंधित आदेश/पत्र आदि की हार्ड प्रति तीन प्रतियों में तैयार की जाय, जिसकी एक प्रति संबंधित संचिका में दूसरी प्रति माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री के आप्त सचिव एवं तीसरी प्रति संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाय । सभी आदेश/पत्र (गोपनीय पत्र/ गोपनीय विषय के पत्र को छोड़ कर) विभागीय वेव-साईट पर रक्षित किया जाय ।

इसका अनुपालन सुनिशचित किया जाए ।

24/7/2019

(डॉ० एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक...................।   पटना, दिनांक....................।

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव